न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 01/20

GCMS NO 2020/00006

उम्मेद सिह पुत्र श्याम सिह जाति राजपूत निवासी गुडाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. फतेह सिह पुत्र श्याम सिह जाति राजपूत निवासी गुडाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली
2. प्रताप सिह पुत्र फतेह सिह जाति राजपूत निवासी गुडचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली
4. सब रजिस्ट्रार तहसील नादौती जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 97/18 निर्णय व डिकी दिनांक 8.1.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा

दिनांक 09.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 8.1.20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा तथा तकासमा आराजीयात इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि खसरा न0 1565 रकबा 0.37 है0 किस्म नहरी खसरा न0 1730 रकबा 0.20 है0 वाकेतन ग्राम गुढाचन्द्रजी अ तहसील नादौती है जिसकी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के पिता श्याम सिह पुत्र मुकुन्द सिह की खातेदारी भूमि रही है। श्याम सिह के फौत होने पर उक्त भूमि की खातेदारी जरिये विरासत गुलाब कंवर बेवा मोती सिह हिस्सा 1/3 उम्मेद सिह ,फतेह सिह पिसरान श्याम सिह हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज हुई। गुलाब कंवर बेवा मोती सिह जो कि वादी एवं प्रतिवादी न0 1 की भाभी थी जिनके कोई संतान नही थी एवं वादी के पास ही रहती थी। जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही अपनी भूमि को 2 हिस्सो मे बांट दिया जिसमे 1/2 हिस्सा फतेह [illegible] एवं 1/2 हिस्सा वादी का हो गया था, इसी अनुसार गुलाब कंवर पत्नि मोती सिह [illegible] वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम नामा0 खोला जाना था। किन्तु प्रतिवादी न0 [illegible] अपने पुत्र प्रताप सिह [illegible] साज कर एक फर्जी एवं जाली नुमाईशी गोदपत्र तैयार करवा लिया एवं गुलाब कंवर के [illegible] होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

पर उक्त जाली गोद पत्र के आधार पर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 ने अपने पुत्र प्रताप सिह की खातेदारी मे चुपचाप दर्ज करवा ली जो कि नल एण्ड वोइड है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। गोदनामा भी फर्जी है जिसके आधार पर खोला गया नामा0 भी नल एण्ड बोईड है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि मुतजिका मद न0 1 वाद पत्र की भूमि वादी एवं प्रतिवादी न0 1 की शामलाती है जिसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है एवं बिना विधिक बंटवारा कराये किसी भी अजनबी केता को भूमि का बेचान करने एवं शामलाती भूमि मे कब्जा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होता है। चूकि बिना बंटवारा कराये शामलाती भूमि मे यह कहा जाना संभव नही है कि किस खातेदार का कब्जा कहा है एवं मौके पर विवाद की स्थिति पैदा होती है फिर भी प्रतिवादी न0 1 व 2 के द्वारा बिना बिधिक बंटवारा कराये एव बिना विधिक अधिकार के जाली दस्तावेजो के आधार पर खोले गये शून्य नामा0 से प्राप्त शामलाती भूमि का बेचान करने पर उतारू है। उक्त शामलाती भूमि पर बिना बंटवारा कराये बिना कब्जे के बेचान करने का एवं जाली दस्तावेजो के आधार पर खोले गये नामा0 के आधार पर प्राप्त भूमि का बिना कब्जे के बेचान करन चाहते है। जबकि बिना बंटवारा कराये भूमि के बेचान का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिए दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी भूमि खसरा न0 1565 रकबा 0.37 है0 तथा खसरा न0 1730 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम गुढाचन्द्रजी त0 तहसील नादौती मे जाली गोद पत्र के आधार पर प्रतिवादी न0 2 के नाम खोले गये 1/3 हिस्से कि खातेदारी हजफ कर उसके स्थान पर 1/2 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 के नाम घोषणा खातेदारी की जावे तथा उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 मे मध्य प्राथमिक डिकी जारी कर जरिये मौका कमिश्नर तकासमा स्कीम फाईनल डिकी किया जावे जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक प्रतिवादी न0 1 व 2 भूमि को बेचान नही करे और स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सी पी सी पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी न0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। तहत न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी का वाद पत्र गलत तरीके से खारिज किया है। क्योकि दिनांक 9.10.19 की आदेशिका मे स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कि पत्रावली वास्ते तनकीयात निर्धारित थी। तथा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अपीलांट को वास्ते जबाब हेतु कोई अवसर नही मिला ना ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है ना ही उक्त आदेशिका प्रार्थना पत्र का कोई हवाला है। प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी की प्रति जो अपीलांट/वादी को दी जानी चाहिए थी उसके अपीलांट/वादी को नही दी गई जो आज भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। माननीय राजस्व मंडल द्वारा कई नजीरो मे यह मत पारित किया है कि प्रारंभिक आपत्ति पर तनकी कायम की जानी चाहिए तथा सर्वप्रथम साक्ष्य उपरान्त उसी तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन तहत न्यायालय ने जल्दबाजी मे एक माह के अन्दर उक्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह मत पारित किया है कि दिनांक 22.5.18 को निर्णित किया जा चुका है। प्राईमाफेसाई रूप से निर्णय मे यह अंकन किया है कि स्वयं रेस्पो0 का दावा खारिज किया गया है फिर अंकन किया है कि डिक्री किया जा चुका है उपरोक्त दोनो तथ्य विरोधाभासी है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। तहत न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय मे नही दी है । प्रस्तुत वाद पत्र बंटवारे का है तथा घोषणा का है पूर्व मे किसी प्रकार का कोई बंटवारा वगै0 नही किया है ना ही बंटवारे की डिक्री पारित की गई है तथा प्रकरण सबज्यूडिश है तथा पक्षकार भिन्न है फिर भी 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र जल्दबाजी मे विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी खारिज कर वाद पत्र को नियमानुसार सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क दिया कि विवादित आराजीयात ग्राम गुढाचन्द्रजी अ मे स्थित है। वर्तमान जमाबंदी मे गुलाब कंवर बेवा मोती सिह के दत्तक पुत्र का हिस्सा 1/3 जो रेस्पो0 संख्या 2 है व 2/3 अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। गुलाब कंवर जो अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की भाभी थी वो कभी भी अपीलांट के पास नही रही व अपने पति के देहान्त के बाद अपने हिस्से के घर मे ही रहती थी। गुलाब कंवर को अपीलांट द्वारा परेशान किया जाने लगा तो वह जयपुर जाकर रहने लगी तथा रेस्पो0 फतेह सिह के पुत्र रेस्पो0 संख्या 2 को दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया। गुलाब कंवर के देहान्त के पश्चात उसके हिस्से की भूमि जरिये नामा0 रेस्पो0 संख्या 2 के नाम आ गई। इस कारण अपीलांट /वादी रेस्पो0 को हेरान परेशान करने लग गया इसके कारण रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मुकदमा न0 91/11 बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया व प्रतिवादी/रेस्पो0 न0 2 द्वारा [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। जो दिनांक 22.11.18 को निर्णित हो गया जि[illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन [illegible] है कि वादी (रेस्पो0 संख्या 2) प्रताप सिह के खातेदारी अधिकार [illegible] 12.10.2000 के आधार पर ही नामा0 गुलाब कंवर से प्रताप सिह के नाम दर्ज हुए [illegible] यदि दत्तक विलेख गलत है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रतिवादी/अपीलांट सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार ही मुकदमा न0 91/11 दावा उनवानी फतेहसिह बनाम उम्मेद सिह वंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत दादरसी नही दी जा सकती इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 व 2 का मुकदमा न0 58/11 व 91/11 उनवानी प्रताप सिह बनाम उम्मेद सिह व फतेह सिह बनाम उम्मेद सिह व काउन्टर दावा वादी उम्मेद सिह का खारिज किया जाकर डिकी किया जा चुका है। इसके कारण ही रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विधि के अनुसार पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से वादी का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण ही वाद पत्र खारिज किया है। अपीलांट का यह कथन गनगढन्त है कि प्रार्थना पत्र पर पीठासी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है जबकि सत्यता यह है पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.10.19 को रीडर के नाम मार्क किया हुआ है। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन भी सत्य नही है उक्त प्रार्थना का आदेशिका पर हवाला नही है जबकि सत्यता यह है कि दिनांक 11.12.19 पर स्पष्ट उल्लेख है कि उभयपक्षकारान उपस्थित । पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 18.12.19 को पेश हो। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन भी मनगढन्त है कि उनको प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नही हुआ। यदि अपीलांट/वादी को प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उनको सर्वप्रथम आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दर्ज नही करवाकर सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस दिनांक 1.1.20 को सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8.1.20 नियत की गई थी। उक्त बीच की अवधि मे भी अपीलांट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के उक्त कथन मनगढन्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी व विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद स्व0गुलाब कंवर पत्नि मोती सिह के 1/3 हिस्से की भूमि को लेकर है। उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकार किया है कि स्व0गुलाब कंवर पत्नि मोती सिह उनकी रिश्ते मे भाभी थी। अपीलांट का कथन रहा कि भूमि खसरा न0 1565 रकबा 0.37 है0 एवं खसरा न0 1730 रकबा 0.20 है0 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के पिता श्याम सिह पुत्र मुकुन्द सिह की खातेदारी की भूमि रही है। अपीलांट का कथन रहा कि गुलाब कंवर [illegible] होने से पूर्व ही उक्त भूमि का 1/2 भाग फतेह सिह को एवं 1/2 [illegible] को [illegible] दिया था। इसके संबंध मे [illegible] अपीलांट का यह कथन पत्रावली मे इस प्रकार का कोई दस्तावेज [illegible] साबित हो सके। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध दत्तक विलेख दिनांक 12.10.2000 के आधार पर ही स्व0गुलाब कंवर पत्नि मोती सिह की भूमि प्रताप सिह पुत्र फतेह सिह के नाम दर्ज हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उक्त विवादित आराजीयात के बाबत पूर्व के भी इस न्यायालय मे अपील संख्या 73/12 पेश हुई है। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने के कारण राजीनामे की जॉच कर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी की प्रति अपीलांट को नही दी गई जिसके कारण जबाब प्रस्तुत नही किया जा सका इसी प्रकार कथन रहा कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है तथा आदेशिका पर भी प्रार्थना पत्र का हवाला नही है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.19 को मार्क किया गया है तथा आदेशिका दिनांक 11.12.19 पर स्पष्ट उल्लेख है कि उभयपक्षकारान उपस्थित । पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 18.12.19 को पेश हो। दिनांक 18.12.19 को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 1.1.20 नियत की जाकर दिनांक 1.1.20 को उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8.1.20 नियत की गई, परन्तु वादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इस अवधि मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी को उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई ऐतराज नही था। यदि उनको ऐतराज होता तो उनको अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पर ऐतराज प्रकट कर जबाव हेतु समय चाहा जाता जो उनके द्वारा 11 सीपीसी का जबाब पेश नही कर सीधे ही प्रार्थना पत्र पर बहस की गई। वादी द्वारा जिन खसरा न0 को लेकर वाद पेश किया गया था व उसमे जो पक्षकार थे वह मुकदमा न0 91/11 प्रस्तुत होने एवं उसका निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा पूर्व मे किये जाने के कारण ही वादी का वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा से प्रभावित होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती के प्रकरण संख्या 97/18 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.1.20 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested